100

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं – 8, ऐवरेस्ट कॉलोनी, निकट अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक:पैरामेडि.कौ / काउन्सिलिंग / 2019 / 2150 दिनांक: 26-08-19

–::सार्वजनिक सूचना::–

समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 15265 दिनांक 23.02.2018, संशोधित परिपत्र क्रमांक 15633 दिनांक 27.02.2018 एवं परिपत्र क्रमांक 36546 दिनांक 21.08.2019 के अनुसरण में सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है कि :–

"राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रथम ऑन–लाईन काउन्सिल में अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) के अभ्यर्थी के पास यदि अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण–पत्र है, ऐसे अभ्यर्थियों को अति पिछड़ा वर्ग (More Backward Class) की सीट पर ज्वाइनिंग करवावे, (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग की जाति का स्पष्ट उल्लेख हो तथा आवेदक द्वारा अति पिछड़ा वर्ग लाभ के लिये आवेदन किया हो, को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित उक्त जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण लाभ देय होगा।)

लेकिन उस अभ्यर्थी से यह शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें कि जब भी राज्य सरकार द्वारा एम.बी.सी. (More Backward Class) जाति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है, उस समय अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एम.बी.सी. (More Backward Class) जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

26/8/19

(सोमदत्त दीक्षित)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक:पैरामेडि.कौ / काउन्सिलिंग / 2019 / 2150 दिनांक: 26-08-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, समस्त सम्बद्ध पैरामेडिकल कॉलेज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सूचना बोर्ड, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. प्रभारी, सर्वर को भेजकर लेख है कि आज ही वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

26/8/19
रजिस्ट्रार